

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर
 नाम पीठासीन अधिकारी :- सुश्री प्रियंका कड़ेला आर.ए.एस.
 वादी प्रतिवादीगण

अन्तिम डिक्री

1 श्रीमती आषा पुत्री
 भीमसिंह पत्नी धर्मेन्द्रसिंह
 जाति रावणा राजपूत
 निवासी राय कॉलोनी,
 बेरियों का वास, बाड़मेर
 तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

1 करणसिंह 2.जगदीपसिंह 3.
 भगवानसिंह 4.भीमसिंह 5.मगसिंह
 पिसरान डूंगरसिंह 6.श्रीमती धापूदेवी
 पत्नी डूंगरसिंह जातियान रावणा
 राजपूत निवासीयान जसनाथपुरी
 पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडू
 व जिला बाड़मेर 7.शाखा प्रबंधक,
 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा
 भीमडा 8.तहसीलदार बाटाडू जिला
 बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 RTA Act.

मुकदमा नम्बर :- 216/2024

निर्णय दिनांक :- 26.05.2025

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26.05.2025 को सुश्री प्रियंका कड़ेला, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीनी का वाद माफिक ईकबाली जवाबदावा स्वीकार किया जाकर मौजा जसनाथपुरी पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 275 रकबा 1.0355 हैक्टेयर भूमि का वादीनी को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 04.भीमसिंह का हिस्सा रहन है। अतः तहसीलदार बाटाडू निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

तहसीलदार बाटाडू तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें

यह आज तारीख 26.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Prinika
 (प्रियंका कड़ेला)
 पीठासीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
	जोड़		जोड़